



मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

भारत स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र

प्रिय महोदय,

विषय: अगस्त 2018 से जनवरी 2019 की अवधि तक देय मंहगाई राहत:

ए) 1.1.1986 से पूर्व हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों को

बी) 1.1.1986 से पूर्व हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवी जीवनसाथियों को जिन्हें अनुग्रह प्राप्त हो रही है.

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों को अनुग्रह आधारित भुगतान प्रदान किया जाना है.

इस संबंध में हम परिपत्र संख्या एचओ : बीआर : 109/58, दिनांक : 13 अप्रैल 2017 का संदर्भ देते हैं, जिसके माध्यम से शाखाओं को यह सूचित किया गया था कि 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके उत्तरजीवी पति/पत्नी को 1 अप्रैल 2017 से केंद्रीकृत रूप से अनुग्रह आधारित भुगतान किया जाएगा. अतः हमारा स्टाफ पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा अप्रैल 2017 से प्रत्येक माह इन लाभार्थियों को अनुग्रह आधारित भुगतान कर रहा है.

भारतीय बैंक संघ ने हमें सूचित किया है कि अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक के लिए ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय मंहगाई राहत निम्नानुसार होगी:-

लागू सीपीआई औसत		अनुग्रह - राशि प्रति माह	मंहगाई राहत की दर	मंहगाई राहत की राशि प्रति माह	मंहगाई भत्ता राहत सहित कुल अनुग्रह - राशि प्रति माह
		रु.	%	रु.	रु.
6604	1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी	350	1005.67	3520	3870
	1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी के उत्तरजीवी पति/पत्नी	175	1005.67	1760	1935

अनुग्रह आधारित भुगतान के केंद्रीकृत होने के कारण शाखाओं को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे 1 अप्रैल 2017 से आगे अनुग्रह आधारित भुगतान न करें, अतः यह परिपत्र 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त उत्तरजीवियों के लिए अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक के लिए मंहगाई राहत से संबन्धित है जो सिर्फ शाखाओं की सूचना के लिए है ताकि वे इस तरह के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पूछे जाने पर उनको मंहगाई राहत का वर्तमान दर बता सकें.

भवदीय,

Chandrima

(कमलेश पटेल)

महाप्रबंधक एवं प्रमुख

(मानव संसाधन प्रबंधन) एवं सीएलओ

e



बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda

HO: BR: 110: 136

02.08.2018

ISSUED BY
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HEAD OFFICE, BARODA

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Dear Sir,

Re: Dearness Relief payable for the period from August 2018 to January 2019 to:

- (A) Surviving pre-1.1.1986 retirees of our Bank
- (B) Surviving spouses of pre- 1.1.1986 retirees of our Bank who are in receipt of Ex-gratia.

Branches are aware that ex-gratia is paid to surviving pre- 01.01.1986 retirees and their surviving spouses in terms of the directives from Government of India.

In the matter we invite reference to our Circular No. HO:BR:109/58 dated 13.04.2017 vide which branches were informed about centralization of payment of ex-gratia to surviving pre-01.01.1986 retirees and their surviving spouses w.e.f. April 2017. Hence, our Staff Pension Dept, HO, Baroda is paying ex-gratia every month to these beneficiaries from April 17 onwards.

We have been advised by Indian Banks' Association that Dearness Relief payable to such retirees for the period from **August 2018 to January 2019** would be as under:-

Applicable CPI Average		Amount of Ex-gratia per month	Rate of Dearness Relief	Amount of Dearness Relief per month	Total Ex-gratia amount including Dearness Relief per month
		Rs	%	Rs	Rs
6604	Pre 01.01.1986 retirees	350	1005.67	3520	3870
	Surviving spouse of pre 01.01.1986 retirees	175	1005.67	1760	1935

Consequent upon centralization of payment of ex-gratia, the branches are under instructions not to pay ex-gratia from April 2017 onwards, so this circular about revision in the Dearness Relief payable to surviving pre- 01.01.1986 retirees from August 2018 to January 2019 is just for information of the branches to enable them to clarify to such retirees if they ask about present rate of Dearness Relief.

Yours faithfully,

(Kamlesh Patel)
General Manager & Head
(HRM) & CLO